रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229882 CG-DL-E-23092021-229882

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] No. 405] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली. 22 सितम्बर. 2021

फा. सं. 1-116/ वैज्ञानिक समिति/अधि.28.6/2010-एफ.एस.एस.ए.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) संशोधन विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फा. सं. 1-116/ वैज्ञानिक समिति/अधि.28.6/2010-एफ.एस.एस.ए.आई तारीख 28 अगस्त, 2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 12 सितंबर, 2019 को उपलब्ध् करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है:

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 है।

5358 GI/2021 (1)

- (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारबार चालक को 1 अप्रैल, 2022 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 में "सुदृढ़ीकृत खाद्य में सूक्ष्मपोषक तत्वों पर मानकों का अनुपालन" से संबन्धित विनियम 4 में उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"कोई विनिर्माता जो किसी भी खाद्य का शक्तिवर्धन करता है वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे शक्तिवर्धक खाद्य में लेबल पर घोषित सूक्ष्म पोषकों का स्तर अनुसूची -1 में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर ही हो।

किसी भी समय अनुपालन और विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए लेबल पर सूक्ष्म पोषकों के घोषित कुल स्तर का 10 प्रतिशत स्वीकार्य किया जा सकता है। परंतु अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकतम सीमा का अनुपालन किया जाना चाहिए। "

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./268/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 11/03/विनियम/ पौष्टिकीकरण/2014, तारीख 2 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन हुआ था –

- (i) फा. सं. विनियम/सुदृढ़ीकरण संशोधन(1)/अधिसूचना/एफ.एस.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 18 दिसंबर, 2020; और
- (ii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-18/ए-1.12/एन-1, तारीख 27 अगस्त, 2021।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2021

F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.6/2010-FSSAI.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2019, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number File No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.6/2010-FSSAI, dated the 28th August, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12^{th} September, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, namely:-

Regulations

- **1. Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Second Amendment Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and food business operator shall comply with all the provisions of these regulations with effect from 1st April, 2022.
- **2**. In the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, in regulation 4 relating to "Compliance with Standards on Micronutrient Content in Fortified Foods" for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely:-

"Any manufacturer who fortifies any food shall ensure that the level of added micronutrients on label of such fortified food shall fall within the range specified in Schedule-I.

The tolerance of minus 10 per cent of the declared total value on the label may be allowed for the purposes of compliance and analysis at any point in time. Provided that the maximum limit of added micronutrients specified in Schedule-I must be complied with."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./268/2021-22]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2st August, 2018 and subsequently amended vide notification:-

- (i) F. No. REG/Fortification Amendment (1)/Notification/FSSAI-2018, dated 18th December, 2020; and
- (ii) F. No. Stds/SP-18/A-1.12/N-1, dated 27th August, 2021.